न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 02/2017

उनवान

1. दिलीपसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह, जाति राजपूत, निवासी राठौडो की ढाणी, ग्राम धवली, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. लल्ली देवी पत्नी सुण्डाराम, जाति माली, निवासी गोपीनगर, किलनगढ, ग्राम जयसिंहपुरा खोर, तहसील जयपुर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 07.12.2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1659 रकबा 0.58 हैक्टेयर, ग्राम मोरीजा ए, तहसील चौमूं जिला–जयपुर में स्थित है। जो प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि है, जो काश्त कर अपना जीवन यापन करता हैं तथा प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। गै0 सु0 रास्ते व प्रार्थी की खातेदारी के मध्य खसरा नम्बर 1656 रकबा 1.21 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी काश्त की भूमि है।

खसरा नम्बर 1659 में आने जाने का रास्ता नही है तथा खेती करना दुर्भर हो रहा है तथा अन्य कोई रास्ता का विकल्प नही है तथा खसरा नम्बर 1659 काश्त के काम आ रही है। खसरा नम्बर 1656 की पूर्वी सीमा पर करीबन् 140 मीटर की लम्बाई व चार मीटर की चौडाई कुल रास्ते की भूमि का क्षेत्रफल 560 वर्गमीटर बनता हैं, जो संलग्न नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है कि आवश्यकता है। खसरा नम्बर 1656 में रास्ता कायम नही किया गया तो प्रार्थीया को काश्त करना असंभव हो जायेगा, जिससे परिवार का पालन पोषण ही दुर्भर हो जावेगा।

दिनांक 05.01.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 से बातचीत की, आपकी जमीन से रास्ता दे दो, जिसके बदले में वाजिब कीमत अदा कर दूंगा। जिस पर स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि हमारी जमीन मे से कोई रास्ता नही देगें, जिससे न्यायालय श्रीमान् के प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 1656 में संलग्न नक्शे में बरंग लाल से प्रदर्शित रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान करें।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट मोरीजा में पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित है। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। [illegible] कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली के संबंध में तहसीलदार चौमूं [illegible] रिपोर्ट दिनांक 06.12.2021 प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी मुताबिक जमाबंदी ग्राम [illegible] 2072–2075 के ख0न0 1659 रकबा 0.58 है0 पर दिलीप सिंह पुत्र [illegible] कौम डागर निवासी [illegible] की ढाणी ग्राम धवली तह0 शाहपुरा खातेदार दर्ज रिकार्ड [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 16:01:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी दिलीप सिंह ने ख0न0 1656 रकबा 1.21 है0 में से रास्ता चाहा है जो ग्राम मोरीजा मुताबिक जमाबंदी संवत् 2072–2075 के लल्ली देवी पत्नी सुण्डाराम हिस्सा पूर्ण कौम माली सा0 गोपीनगर किलनगढ जयसिंहपुरा खोर तह0 जयपुर खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

ख0न0 1656 की पूर्वी सीमा पर 132 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई अर्थात् 132X4=528 वर्ग मीटर अर्थात् 0.528 है0 भूमि रास्ते में जायेगी। आवेदक के कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता जो मौके पर लगता हो दर्ज रिकार्ड नही है।

प्रा0 पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, जवाब व तहसीलदार चौमूं द्वारा पेश रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र में मुख्य रूप से निम्न बाते देखे जाने योग्य है–

1. क्या चाहा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु ही प्रयुक्त होना है ?
2. आवेदक/प्रार्थी की जोत तक पहुंचने का कोई भी मार्ग उपलब्ध नहीं है ?
3. यदि एक से अधिक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तो कौन सा मार्ग न्यूनतम दूरी का हैं ?

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं के अवलोकन किया गया। प्रशासन गावों के संघ अभियान के दौरान राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप वादो/दावो के निस्तारण हेतु उभयपक्षकारों की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 69 (पूछताछ एवं आवेदन पत्र का निपटान) के अनुसार पिठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 07.12.2021 को स्वयं मौका निरिक्षण किया गया। जिसमें प्रार्थी के पास कोई वैकल्पीक रास्ता नही होना पाया गया एवं तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट दिनांक 06.12.2021 के अनुसार चाहा गया रास्ता ही कम दुरी का होना पाया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर विचार करने पर न्यायालय का यह अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त होना है। आवेदक का जोत तक पहुचने का कोई भी मार्ग उपलब्ध नही है। तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट अनुसार कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता न्युन्तम दुरी का है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर काश्त करने हेतु रास्ता की भूमि का मुआवजा डीएलसी की दर का दो गुणा राशि अप्रार्थीगण को हिस्सेे अनुसार दिलाया जाकर तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट दिनांक 06.12.2021 के अनुसार संलग्न नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित ख0न0 1656 की पूर्वी सीमा पर 132 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई अर्थात् 132X4=528 वर्ग मीटर रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं दिनांक 06.12.2021 के अनुसार वाके ग्राम मोरीजा ए. तहसील चौमूं जिला–जयपुर में स्थित संलग्न नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित ख0न0 1656 की पूर्वी सीमा पर 132 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई अर्थात् 132X4=528 वर्ग मीटर भूमि का मुआवजा वर्तमान DLC दर के दो गुनी दर से भूमि कीमत 451587/– रूपये शब्दों में चार लाख ईक्यावन हजार पांच सौ नब्बे रूपये अप्रार्थी को उनके दर्ज हिस्से अनुसार भुगतान करने के आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार चौमूं को उक्त राशि जमा कर अप्रार्थी को उनके दर्ज हिस्से अनुसार भुगतान करने एवं संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं। नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। पालना के लिये तहसीलदार चौमूं को [illegible] भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल [illegible] हो कर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 16:01:07 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] जैन
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जयपुर